

FPI/U/P/PipeLine/152073/2022

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग
द्वारा भरे जाने के लिये)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा
के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और
निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन
संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की
जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

ceo का नपूर नियंत्रित
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

दिनांक— 18/8/22

स्थान—

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
हरिताकार
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow
नाम—

सरकारी मोहर